कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद।

प्रेसविज्ञप्ति
दिनांकः-18.03.2023

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों पर तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा के दिशा-निर्देशन में अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद श्री सुनील प्रसाद द्वारा बताया गया कि दिनांक 17 व 18 मार्च 2023 को प्री- लिटिगेशन स्तर पर बैंकों के ऋण वसूली मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय गाजियाबाद में किया जा रहा है। उक्त प्रकरण से संबंधित कुल 26026 वादों को विशेष लोक अदालत हेतु चिन्हित किया गया था जिनमें से 2500 मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा , नोडल अधिकारी (लोक अदालत)/ अपर जिला जज श्री आलोक पांडे व बैंक वादों के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालयों के न्यायाधीश, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुनील प्रसाद, एवं बैंकों के अधिकारीगण तथा नामित / पैनल अधिवक्ता आदि उपस्थित रहे ।